रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269154
CG-DL-E-07012026-269154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947
No. 83] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

का.आ. 93(अ).—यत:, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ 3032 (अ) दिनांक 22 जून, 2018 द्वारा एनएच-709ए (यह राजमार्ग गढ़मुक्तेश्वर के पास एनएच-9 से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश में मेरठ, बुढाना, शामली, हरियाणा में करनाल, जींद, मुंदल को जोड़ते हुए भिवानी के पास एनएच-709 पर खत्म होता है) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 200 8के नियम 3(जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा एन एच-गढ-709ए के मेरठ्मुक्तेश्वर खंड का स्पर जो गांव सलारपुर जलालपुर के (मेरठ) पासएनएच- 119(नए एनएच-34) को गांव दौराला के पास (मेरठ)एनएच- 58(नए एनएच-334) से जोड़ता है, मेरठ शहर को बाईपास करते हुए .डिजाइन किमी)0+800 से डिजाइन किमी.12+828 तक के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 12.028 किलोमीटर लंबाई वाले बाईपास के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर की डेढ़ गुणा की दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी –1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी -2						
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिखेड़ा गाँव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-709A के कि.मी. 03+050 पर	मेरठ बाईपास	डिज़ाइन चेनेज 00.800	डिज़ाइन चेनेज 12.828	12.028	224.96	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

2. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष वर्ष 2025-26 के लिए 340.00/-रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात: -

सारणी - 3		
देय राशि	**अधिकतम संख्या एक अनुमत यात्रा मार्ग**	**वैधता की अवधि**
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीने

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. उपर्युक्त सारणी 1– यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007- 08के लिए प्रति कि.मी .शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 953.7 9करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. डीएलडीआईवी -20018/54/2025-भारराप्रा-आरओ देहरादून/ई-257853]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2026

S.O. 93(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3032(E) dated 22nd June, 2018 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the NH-709A (The highway starting from its junction with NH-9 near Garhmukteshwar connecting Meerut, Budhana, Shamli in the State of Uttar Pradesh, Karnal, Jind, Mundal and terminating at its junction with NH-709 near Bhiwani in the state of Haryana) to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at one and half times the rate specified in column (2) of the Table 1 for bypasses having length of 12.028 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane Spur of Meerut-Garhmukteshwar section of NH-709A connecting NH-119 (New NH-34) near village Salarpur Jalalpur (Meerut) to NH-58 (New NH-334) near village Daurala, (MEERUT) bypassing Meerut City (Design KM.0+800 to Design KM.12+828) and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table – 1

Types of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table -2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of Bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At Km. 03+050 of NH-709A near Sikhera Village in Meerut district of Uttar Pradesh.	Meerut Bypass	Design Ch. 00.800	Design Ch.12.828	12.028	224.96	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-I above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the Fee Plaza is Rs.340.00 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely,

Table-3

Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fees payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rs. 953.79 Crore. [The Capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed.] The Authority shall maintain a record of the recovery of the Capital Cost through user fee realised.

[F. No. DLDIV-20018/54/2025-NHAI- RO Dehradun/E-257853]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.07 12:40:15 +05'30'